तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 147/2016 अंतर्गत धारा–75 एल.आर. एक्ट

(GCMS No. 2016/00199)

विक्रम सिंह पुत्र रेवन्त सिंह राजपूत निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1 गोरधनसिंह पुत्र रेवंत सिंह राजपूत निवासी उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

2 गायत्री कंवर
3 किरण कंवर
4 कंचन कंवर
} पिसरान रेवंतसिंह जाति राजपूत साकिन उदासर बीकानेर।

5 गंगा कंवर पत्नि स्व. भंवर सिंह पुत्र स्व. रेवंतसिंह।

6 शीवेन्द्र सिंह
7 महेन्द्र सिंह
8 देवेन्द्र सिंह
} पुत्र स्व. भंवरसिंह पुत्र रेवंतसिंह राजपूत साकिन उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

9 स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार बीकानेर
10 उप पंजीयक द्वितीय बीकानेर।

11.03.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 की माता व 5 की सास तथा 6 ता 8 की दादी ने विवादित भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कर दी है। विवादित भूमि पुश्तैनी आय से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की माता का मान सम्मान बना रहे इसलिये उनके नाम से खरीदी गई, जिस पर समस्त वारिसान का समान अधिकार है। उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार बीकानेर ने आदेश दिनांक 12.12.2011 पारित करते हुए इंतकाल दर्ज करने के आदेश दे दिये, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता की स्वअर्जित भूमि थी, जिसकी उन्होंने वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कर दी। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वसीयत प्रकरण विवादित नहीं रहा। अतः उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं बहस उभय पक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के आदेश दिनांक 12.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–135(2) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं है। अतः अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार/श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

E Nirnay 2020